



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2138]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 5, 2015/आश्विन 13, 1937

No. 2138]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2015/ASVINA 13, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2015

का.आ. 2699(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उपरोक्त प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उपरोक्त तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

और जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान राज्य के उदयपुर जिला में 24°35' उ. से 24°39' उ. अक्षांश और 73°37' पू. से 73°40' पू. देशांतर के बीच अरावली श्रृंखला के दक्षिणी भाग में अवस्थित है और 52.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ।

और जहाँ, वन्यजीव अभयारण्य में विविध वास है जिनमें विविध जीव-जन्तु एवं वनस्पतियाँ हैं और मुख्य जीव-जन्तु प्रजातियों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, शियार, मुश्कबिलाव, चिंकारा, जंगली सूअर, चितल और मगरमच्छ सम्मिलित हैं ;

और जहाँ, अभयारण्य में कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन हैं और मुख्य वृक्ष प्रजातियों में एनोजियासिस पेंडूला, मित्रगैना परविफ्लोरा, बोसविला सिरिटा, अकाकिया कैचू, एलिकोफोलिया, इत्यादि सम्मिलित हैं ;

और, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उ.धोगों या उ.धोगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उ.पनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उ.प-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उ.प-धारा (3) के साथ पठित उ.प-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 8.62 किलोमीटर के विस्तार के क्षेत्र को जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उ.सकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 8.62 किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उ.पाबंध I** के रूप में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ अक्षांश और देशांतर का मानचित्र **उ.पाबंध II** के रूप में उ.पाबद्ध है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन राजस्थान के जिला उ.दयपुर के 34 ग्रामों तक फैला हुआ है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ मुख्य बिन्दुओं का निर्देशांक **उ.पाबंध III** के रूप में उ.पाबद्ध है ।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उ.क्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हो, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई ; और
- (x) लोक निर्माण विभाग

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उ.पयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हों और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकीय अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उ.पबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पू.जा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजाति क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उ.द्यान और उ.सी प्रकार के स्थान, उ.द्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उ.पाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उ.पबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उ.पाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उ.पयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उ.द्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उ.पयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 10, 16, 22, 28 और 31 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ करना और नई सड़कों के संनिर्माण ;

(iii) प्रदूषण उ.त्पन्न न करने वाले लघु उ.द्योग;

(iv) वर्षा जल संचय; और

(v) कुटीर उ.द्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उ.द्योग, सुविधाजनक स्टोर और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उ.पबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उ.द्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उ.पयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उ.पसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उ.क्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उ.पर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उ.प पैरा के अधीन यथा उ.पबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उ.पयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) **पर्यटन** - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिर्देशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) विधि के अनुसार पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जिन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उ.पवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(8) **बहिःसाव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिःसाव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट**--ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उ.पबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उ.पबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उ.पबंध सम्मिलित किए जाएंगे और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** -

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उ.योगों का स्थापन्न विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उ.योग के सिवाय प्रतिषिद्ध नहीं किए जाएंगे ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनी प्रदूषण के कोई नए उ.योग का स्थापन्न नहीं होगा ।

(ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए विस्फोटक गोदाम का स्थापन्न नहीं होगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उ.पबंधों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

| क्रम सं. | क्रियाकलाप | टीका-टिप्पणी |
|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप : | | |
| (1) | वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उ.नको तोड़ने की इकाइयां । | (क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उ.नको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उ.पयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; |

| | | |
|---------------------|--|---|
| | | खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरूमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा । |
| (2) | आरा मशीनों की स्थापना । | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |
| (3) | जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उ.द्योगों की स्थापना। | पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उ.द्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । |
| (4) | जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उ.पयोग। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उ.पबंधित के सिवाय) । |
| (5) | नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना का स्थापन । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उ.पबंधित के सिवाय) । |
| (6) | खतरनाक पदार्थों का उ.पयोग या उ.त्पादन । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उ.पबंधित के सिवाय) । |
| (7) | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण । | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उ.पबंधित के सिवाय) । |
| (8) | पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों का राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के ऊपर से उड़ना। | लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उ.पबंधित के सिवाय) । |
| (9) | नए काष्ठ आधारित उ.द्योग। | पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उ.द्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उ.द्योग विधि के अनुसार बने रहेंगे। |
| विनियमित क्रियाकलाप | | |
| (10) | होटलों और रिसोर्टों का स्थापन । | पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे । तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उ.सकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे । |
| (11) | संनिर्माण क्रियाकलाप । | (क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर अनुज्ञात नहीं होगा । परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उ.नके आवासीय उ.पयोग के लिए उ.नकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उ.प-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी |

| | | |
|------|--|--|
| | | <p>हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।</p> <p>(ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उ.द्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर अनुज्ञात किए जाएंगे ।</p> <p>(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर परे और उ.सकी सीमा तक वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार संचालित होंगे ।</p> |
| (12) | वृक्षों की कटाई । | <p>(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी;</p> <p>(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उ.सके अधीन बनाए गए नियमों के उ.पबंध के अनुसार विनियमित होंगे;</p> <p>(ग) आरक्षित वन और संरक्षित वन की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया किया जाएगा ।</p> |
| (13) | वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है । | <p>(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए सतही जल और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा ।</p> <p>(ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उ.पयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है ।</p> <p>(ग) सतही जल या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा ।</p> <p>(घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उ.पाय किए जाएंगे ।</p> |
| (14) | विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण । | भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना । |
| (15) | होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना । | सूखाशिला क्षेत्र के सिवाए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (16) | विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उ.न्हें सुदृढ करना। | उ.चित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उ.पाय यथा अनुसार लागू होंगे । |
| (17) | रात्रि में यानिक यातायात का संचलन । | लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित। |
| (18) | विदेशी प्रजातियों को लाना । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (19) | पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (20) | प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उ.पचारित बहिर्साव का निस्सारण । | उ.पचारित बहिर्साव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा । |
| (21) | वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (22) | प्रदूषण उ.त्पन्न न करने वाले लघु उ.द्योग । | पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उ.द्योग, कृषि उ.द्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उ.त्पादों का उ.त्पादन उ.द्योग और जो |

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| | | पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे । |
| (23) | वन उ.त्पादों और गैर काष्ठ वन उ.त्पादों का संग्रहण (एन.टी.एफ.पी.) । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (24) | वायु और यानिय प्रदूषण । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (25) | दुकानदारों द्वारा पोलिथीन थैलों का उ.पयोग । | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| (26) | कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव। | लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । |
| संविधित क्रियाकलाप : | | |
| (27) | स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला और डेयरी उ.द्योग । | लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे । |
| (28) | वर्षा जल संचयन । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए । |
| (29) | जैविक खेती । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए । |
| (30) | सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए । |
| (31) | कुटीर उ.द्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं । | सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए । |
| (32) | नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उ.पयोग । | बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाए। |

5. **माननीय समिति** - (1) केंद्रीय सरकार राजस्थान में आने वाले पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी माननीय के लिए एक माननीय समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (i) जिला कलक्टर, उ.दयपुर - अध्यक्ष;
- (ii) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य;
- (iii) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;
- (iv) लोक निर्माण विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (v) सिंचाई विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (vi) पर्यटन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (vii) खनन विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (viii) पुलिस विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (ix) नगर परिषद विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (x) उ.द्योग विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (xi) यूआईटी विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी- सदस्य;
- (xii) क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;
- (xiii) उ.प-खंड अधिकारी जयसमंद - सदस्य;
- (xiv) ब्लाक विकास अधिकारी, जयसमंद - सदस्य;
- (xv) वन्यजीव वार्डन उ.दयपुर - सदस्य;
- (xvi) उ.प-मुख्य वन्यजीव वार्डन, उ.दयपुर - सदस्य-सचिव,

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के 5.पबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और 5.क अधिसूचना के 5.पबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और 5.से संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उ.यान के उ.प-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उ.पबंध का उ.ल्लंघन करता है, उ.सके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट 5.पाबंध IV पर उ.पाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के 5.पबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उ.पाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उ.च्चतम न्यायालय या उ.च्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के 5.पबंध होंगे ।

[फा सं 25/10/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

5.पाबंध I


पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन

| | |
|---------------|--|
| उ.तर | भूतिया बंध से शुरू होकर नल्लाह के किनारे के साथ आगे बढ़कर पलोदरा आरक्षित वन की सीमा को छूते हुए उ.तर कि ओर आगे बढ़ते हुए, इस आरक्षित वन के किनारे के साथ वगवा ग्राम के दक्षिण में पहुँचता है- और पश्चिम कि ओर मुड़ता है और वनो के मध्य से जाते हुए 500 मी. पर स्थित चोटी, 610 मी. ऊँची चोटी तक पहुँचता है - पश्चिम कि ओर मुड़कर नल्लाह के साथ उ.दयपुर सालुमवार रोड के निकट पलोदरा आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा तक पहुँचती है । |
| पश्चिम | पलोदरा आरक्षित वन की पश्चिमी सीमा से शुरू होकर दक्षिण कि ओर आगे बढ़ते हुए, आरक्षित वन के पश्चिमी छोर कि रोड को काटते हुए पालुना ग्राम के निकट पुलिया सड़क तक पहुँचती है- यहाँ से नल्लाह को छोड़कर सीधा आगे बढ़ते हुए देवपुरा सड़क और तिरी नदी को काटते हुए रेलवे लाइन को छूती है। रेलवे लाइन के साथ बढ़ते हुए और वटुका के निकट, नल्लाह के साथ वटुका तालाब तक पहुँचती है- वटुका तालाब के पश्चिमी छोर के साथ बढ़ने के बाद नल्लाह के किनारे के साथ अरोल ग्राम तक पहुँचती है । |

| | |
|---------------|---|
| दक्षिण | झरोल ग्राम से शुरू होकर जसमुण्ड रोड के साथ बढ़ते हुए, गोमती नदी को काटते हुए कंटोरा ग्राम पहुँचती है- इसके बाद नल्लाह के साथ आगे बढ़ते हुए डेडिया अम्ना पहुँचती है- उसके बाद नटर के साथ चलते हुए खेराद ग्राम पहुँचती है- नहर के साथ चलते हुए जसमुण्ड झील के जलमार्ग तक पहुँचती है । |
| पूर्व | जसमुण्ड झील के जलमार्ग से शुरू होकर, झील की जल रेखा के साथ आगे बढ़कर (बाबा के मगरा को अंदर लेते हुए) बगमा नदी के मुहाने (नदी-झील समागम) पर पहुँचती है- और अंततः पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सघन परिपथ बनाते हुए भूतिया बंध तक पहुँचती है । |

उ.पाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान



उ.पाबंध III

जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ बिन्दुओं का जीपीएस निर्देशांक

| क्र. सं. | जीपीएस | देशांतर | अक्षांश |
|----------|--------|-----------------|----------------|
| 2 | पू.1 | 73° 47.463' पू. | 24° 21.356' उ. |
| 3 | पू.2 | 73° 49.485' पू. | 24° 19.083' उ. |
| 4 | पू.3 | 73° 49.666' पू. | 24° 18.331' उ. |
| 5 | पू.4 | 73° 49.247' पू. | 24° 16.988' उ. |
| 6 | पू.5 | 73° 51.050' पू. | 24° 15.088' उ. |
| 7 | पू.6 | 73° 51.218' पू. | 24° 15.216' उ. |
| 8 | पू.7 | 73° 51.956' पू. | 24° 14.461' उ. |
| 9 | पू.8 | 73° 52.013' पू. | 24° 14.222' उ. |
| 10 | पू.9 | 73° 52.570' पू. | 24° 14.527' उ. |
| 11 | पू.10 | 73° 53.396' पू. | 24° 13.607' उ. |
| 12 | पू.11 | 73° 55.047' पू. | 24° 13.445' उ. |
| 14 | पू.12 | 73° 56.108' पू. | 24° 13.387' उ. |
| 15 | पू.13 | 73° 57.413' पू. | 24° 12.347' उ. |
| 16 | पू.14 | 73° 57.553' पू. | 24° 11.850' उ. |
| 17 | पू.15 | 73° 58.369' पू. | 24° 11.661' उ. |
| 18 | पू.16 | 73° 58.694' पू. | 24° 12.177' उ. |
| 19 | पू.17 | 73° 59.261' पू. | 24° 11.824' उ. |
| 20 | पू.18 | 74° 0.032' पू. | 24° 12.452' उ. |
| 21 | पू.19 | 73° 59.620' पू. | 24° 13.854' उ. |
| 22 | पू.20 | 74° 1.482' पू. | 24° 13.600' उ. |
| 23 | पू.21 | 74° 0.635' पू. | 24° 15.908' उ. |
| 24 | पू.22 | 73° 59.808' पू. | 24° 15.988' उ. |
| 25 | पू.23 | 73° 59.241' पू. | 24° 17.258' उ. |
| 26 | पू.24 | 73° 58.592' पू. | 24° 16.915' उ. |
| 27 | पू.25 | 73° 57.622' पू. | 24° 18.146' उ. |
| 28 | पू.26 | 73° 57.402' पू. | 24° 17.200' उ. |
| 29 | पू.27 | 73° 56.040' पू. | 24° 18.296' उ. |
| 30 | पू.28 | 73° 54.833' पू. | 24° 18.206' उ. |
| 31 | पू.29 | 73° 53.669' पू. | 24° 19.748' उ. |
| 32 | पू.30 | 73° 52.038' पू. | 24° 20.803' उ. |
| 33 | पू.31 | 73° 51.251' पू. | 24° 20.699' उ. |
| 34 | पू.32 | 73° 50.760' पू. | 24° 20.862' उ. |
| 35 | पू.33 | 73° 48.523' पू. | 24° 22.226' उ. |

जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले भारतीय स्थलाकृतिक सर्वेक्षण पत्रक के अनुसार ग्रामों की सूची

| क्र.सं. | समझौता | देशांतर | अक्षांश |
|---------|------------------|-----------------|----------------|
| 1 | पोलादरा | 73° 50.474' पू. | 24° 18.247' उ. |
| 2 | अमरपुरा | 73° 50.376' पू. | 24° 17.583' उ. |
| 3 | झरियाना | 73° 50.595' पू. | 24° 17.446' उ. |
| 4 | बवास | 73° 51.159' पू. | 24° 16.764' उ. |
| 5 | पिलाधार | 73° 51.940' पू. | 24° 16.542' उ. |
| 6 | महुरी | 73° 53.522' पू. | 24° 15.106' उ. |
| 7 | जमबुरा | 73° 54.253' पू. | 24° 15.203' उ. |
| 8 | श्यामपुरा | 73° 53.677' पू. | 24° 14.613' उ. |
| 9 | खखाल | 73° 55.345' पू. | 24° 15.117' उ. |
| 10 | गटर | 73° 56.230' पू. | 24° 14.440' उ. |
| 11 | वीरपुरा | 73° 56.874' पू. | 24° 13.850' उ. |
| 12 | छोटपुर | 73° 58.727' पू. | 24° 12.808' उ. |
| 13 | तुलसी नमला | 73° 59.548' पू. | 24° 13.411' उ. |
| 14 | रैतगुरिया | 73° 59.216' पू. | 24° 13.566' उ. |
| 15 | गमरी | 73° 56.727' पू. | 24° 16.153' उ. |
| 16 | जुनी झार | 73° 55.137' पू. | 24° 17.992' उ. |
| 17 | दवाना | 73° 54.128' पू. | 24° 18.733' उ. |
| 18 | खानाखेरी | 73° 53.617' पू. | 24° 18.882' उ. |
| 19 | गडा | 73° 53.088' पू. | 24° 19.244' उ. |
| 20 | अदवास | 73° 52.768' पू. | 24° 19.571' उ. |
| 22 | खैरा | 73° 49.766' पू. | 24° 17.816' उ. |
| 23 | नबोरा | 73° 51.610' पू. | 24° 19.947' उ. |
| 24 | बाबा का मगरा | 73° 58.625' पू. | 24° 15.622' उ. |
| 25 | बस्सी | 73° 58.342' पू. | 24° 12.319' उ. |
| 26 | कंटोरा | 73° 57.859' पू. | 24° 12.543' उ. |
| 27 | करोरिया | 73° 57.450' पू. | 24° 13.069' उ. |
| 28 | बुतवास | 73° 55.918' पू. | 24° 13.845' उ. |
| 29 | खखाल | 73° 55.222' पू. | 24° 14.630' उ. |
| 30 | वाटुका | 73° 52.229' पू. | 24° 14.795' उ. |
| 31 | पदररा | 73° 53.227' पू. | 24° 14.778' उ. |
| 32 | बटुका | 73° 51.866' पू. | 24° 15.201' उ. |
| 33 | गरमाला | 73° 50.371' पू. | 24° 16.970' उ. |
| 34 | चन्दाजी का गुरहा | 73° 52.669' पू. | 24° 15.408' उ. |

उ.पाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उ.ल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उ.पाबंध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उ.पाबंध के रूप में उ.पाबंध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उ.पाबंध के रूप में उ.पाबंध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2015

S.O. 2699(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate

Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Jaisamand Wildlife Sanctuary is located in the southern part of Aravalli series between 24° 35' N to 24° 39' N Latitudes and 73° 37' E to 73° 40' E Longitudes in Udaipur district of Rajasthan and is spread across an area of 52.34 square kilometer;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has a varied habitat having diversified fauna and flora and the important faunal species include Panther, Hyena, Jackal, Civet, Chinkara, Wild boar, Cheetal, and Crocodile;

AND WHEREAS, the sanctuary has tropical dry deciduous forest and the important tree species include *Anogeissu pendula*, *Mitragyna parviflora*, *Boswellia serrata*, *Acacia catechu*, *A. leucophloea* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Jaisamund Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 100 m to 8.62 kilometers around the boundary of Jaisamund Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the

Jaisamund Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone has an extent varying from 100 m to 8.62 kilometers around the boundary of Jaisamund Wildlife Sanctuary and the description of boundary of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with latitude and longitude is appended as **Annexure II**.

(3) The Eco-sensitive Zone is spread across 34 villages falling in Udaipur District of Rajasthan.

(4) The list of the villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure III**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Rajasthan State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 28 and 31 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities;

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Jaisamand Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities: However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

(c) No new explosive godown shall be established within the Eco-sensitive Zone.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

| S.No. | Activity | Remarks |
|------------------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| Prohibited Activities | | |
| 1. | Commercial Mining, stone quarrying and crushing units. | (a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012. |
| 2. | Setting up of saw mills. | No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone. |
| 3. | Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution. | No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. |
| 4. | Commercial use of firewood. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | | laws. |
| 5. | Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 6. | Use or production of any hazardous substances. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 7. | Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 8. | Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons. | Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws. |
| 9 | New wood based industry. | No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law. |
| Regulated Activities | | |
| 10. | Establishment of hotels and resorts. | No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Jaisamund Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would in conformity and Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines. |
| 11. | Construction activities. | (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be permitted as per applicable rules and regulations, if any, with the prior permission from the competent authority. (c) Beyond one kilometer upto the extent of the Eco-sensitive Zone commercial construction may be carried out as per Zonal Master Plan |
| 12. | Felling of trees. | (a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed. |
| 13. | Commercial water resources including ground water harvesting. | (a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture. |
| 14. | Erection of electrical cables and | Promote underground cabling. |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| | telecommunication towers. | |
| 15. | Fencing of existing premises of hotels and lodges. | Regulated under applicable laws except in Sookhashila area. |
| 16. | Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads. | Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable. |
| 17. | Movement of vehicular traffic at night. | Regulated for commercial purpose, under applicable laws. |
| 18. | Introduction of exotic species. | Regulated under applicable laws. |
| 19. | Protection of hill slopes and river banks. | Regulated under applicable laws. |
| 20. | Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area. | Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed. |
| 21. | Commercial Sign boards and hoardings. | Regulated under applicable laws. |
| 22. | Small scale industries not causing pollution. | Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted. |
| 23. | Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP). | Regulated under applicable laws. |
| 24. | Air and vehicular pollution. | Regulated under applicable laws. |
| 25. | Use of polythene bags by shopkeepers. | Regulated under applicable laws. |
| 26. | Drastic Change of Agriculture systems. | Regulated under applicable laws. |
| Promoted Activities | | |
| 27. | Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming. | Permitted under applicable laws. |
| 28. | Rain water harvesting. | Shall be actively promoted. |
| 29. | Organic farming. | Shall be actively promoted. |
| 30. | Adoption of green technology for all activities. | Shall be actively promoted. |
| 31. | Cottage industries including village artisans, etc. | Shall be actively promoted. |
| 32. | Use of renewable energy sources. | Bio gas, solar light etc to be promoted. |

5. Monitoring Committee:-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan, which shall comprise of the following namely:-

- (i) District Collector, Udaipur : Chairman;
- (ii) One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case – Member ;
- (iii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a term of one year in each case – Member ;
- (iv) District level Officer of the PWD Department – Member;
- (v) District level Officer of the Irrigation Department – Member;
- (vi) District level Officer of the Tourism Department – Member;
- (vii) District level Officer of the Mining Department – Member;
- (viii) District level Officer of the Police Department – Member;
- (ix) District level Officer of Municipal Council – Member;
- (x) District level Officer of the Department of Industry – Member;
- (xi) UIT District level Officer – Member;
- (xii) Regional Officer of the State Pollution Control Board:
- (xiii) Sub Divisional Officer Jaisamund – Member;
- (xiv) Block Development Officer, Jaisamund - Member;
- (xv) Wildlife Warden Udaipur - Member;
- (xvi) Deputy Chief Wildlife Warden, Udaipur - Member-Secretary.

6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
 - (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure IV**.
 - (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No.25/10/2015-ESZ-RE]


Dr. T.CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I**Boundary description of Eco-sensitive Zone**

| | |
|-------|--|
| North | Starting from <i>Bhutiya bandh</i> further proceeding along the bank of <i>nallah</i> - touching boundary of <i>Palodra</i> reserve forest (Range Sarada)-moving towards north along the edge of this reserve forest-reaching south of <i>Vagruwa</i> village – taking turn towards west, moving amidst forest and reaching the peak having 500m. height – reaching peak having 696m. height – reaching peak having 610m height – taking turn towards west along <i>nallah</i> and reaching western boundary of <i>Palodra</i> reserve forest block close to Udaipur – Salubar road. |
| West | Starting from western boundary of <i>Palodra</i> reserve forest block moving towards south along the road on the western edge of same reserve forest (Range Sarada) – reaching to road culvert near village <i>Paluna</i> – after crossing the road moving along the bank of <i>nallah</i> reaching <i>Palodra</i> (where <i>nallah</i> takes turn) – leaving <i>nallah</i> here, moving straight down, crossing <i>Devpura road</i> and <i>Tiri nadi</i> and touching railway line – moving along the railway line and near <i>Vatuka</i> , moving along <i>nallah</i> reaching <i>Vatuka</i> pond – moving along western edge of <i>Vatuka</i> pond and then along the bank of <i>nallah</i> reaching <i>Jharol</i> village. |
| South | Starting from <i>Jharol</i> village moving along Jaisamand road and reaching <i>Butwas</i> village – after crossing <i>Gomti nadi</i> reaching <i>Kantora</i> village – further moving along the <i>nallah</i> reaching <i>Dhediya Amba</i> – further moving along canal reaching <i>Kherad</i> village – moving along canal, reaching sluice gate of Jaisamand Lake. |
| East | Starting from sluice gate of Jaisamand Lake, further moving along water line of the lake (keeping <i>Baba Ka Magra</i> inside) reaching the “throat” (river – lake confluence) of <i>Vagruwa nadi</i> – and finally reaching <i>Bhutiya bandh</i> making a close circuit of the Eco-sensitive zone. |

Annexure II

Map of proposed Eco-sensitive Zone along with coordinates



Annexure III

GPS co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone of Jaisamant WLS

| Sl. No. | GPS | Longitude | Latitude |
|---------|-----|---------------|---------------|
| 2 | E01 | 73° 47.463' E | 24° 21.356' N |
| 3 | E02 | 73° 49.485' E | 24° 19.083' N |
| 4 | E03 | 73° 49.666' E | 24° 18.331' N |
| 5 | E04 | 73° 49.247' E | 24° 16.988' N |
| 6 | E05 | 73° 51.050' E | 24° 15.088' N |
| 7 | E06 | 73° 51.218' E | 24° 15.216' N |
| 8 | E07 | 73° 51.956' E | 24° 14.461' N |
| 9 | E08 | 73° 52.013' E | 24° 14.222' N |
| 10 | E09 | 73° 52.570' E | 24° 14.527' N |
| 11 | E10 | 73° 53.396' E | 24° 13.607' N |
| 12 | E11 | 73° 55.047' E | 24° 13.445' N |
| 14 | E12 | 73° 56.108' E | 24° 13.387' N |
| 15 | E13 | 73° 57.413' E | 24° 12.347' N |
| 16 | E14 | 73° 57.553' E | 24° 11.850' N |
| 17 | E15 | 73° 58.369' E | 24° 11.661' N |
| 18 | E16 | 73° 58.694' E | 24° 12.177' N |
| 19 | E17 | 73° 59.261' E | 24° 11.824' N |
| 20 | E18 | 74° 0.032' E | 24° 12.452' N |
| 21 | E19 | 73° 59.620' E | 24° 13.854' N |
| 22 | E20 | 74° 1.482' E | 24° 13.600' N |
| 23 | E21 | 74° 0.635' E | 24° 15.908' N |
| 24 | E22 | 73° 59.808' E | 24° 15.988' N |
| 25 | E23 | 73° 59.241' E | 24° 17.258' N |
| 26 | E24 | 73° 58.592' E | 24° 16.915' N |
| 27 | E25 | 73° 57.622' E | 24° 18.146' N |
| 28 | E26 | 73° 57.402' E | 24° 17.200' N |
| 29 | E27 | 73° 56.040' E | 24° 18.296' N |
| 30 | E28 | 73° 54.833' E | 24° 18.206' N |
| 31 | E29 | 73° 53.669' E | 24° 19.748' N |
| 32 | E30 | 73° 52.038' E | 24° 20.803' N |
| 33 | E31 | 73° 51.251' E | 24° 20.699' N |
| 34 | E32 | 73° 50.760' E | 24° 20.862' N |
| 35 | E33 | 73° 48.523' E | 24° 22.226' N |

**List of Villages as per Survey of India Topographical Sheet falling within
Eco-sensitive Zone of Jaisamand WLS**

| Sl_No. | Settlement | Longitude | Latitude |
|--------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 | Poladra | 73° 50.474' E | 24° 18.247' N |
| 2 | Amarpura | 73° 50.376' E | 24° 17.583' N |
| 3 | Jhariyana | 73° 50.595' E | 24° 17.446' N |
| 4 | Bawas | 73° 51.159' E | 24° 16.764' N |
| 5 | Piladhar | 73° 51.940' E | 24° 16.542' N |
| 6 | Mahuri | 73° 53.522' E | 24° 15.106' N |
| 7 | Jambura | 73° 54.253' E | 24° 15.203' N |
| 8 | Shyampura | 73° 53.677' E | 24° 14.613' N |
| 9 | Khakhal | 73° 55.345' E | 24° 15.117' N |
| 10 | Gatar | 73° 56.230' E | 24° 14.440' N |
| 11 | Virpura | 73° 56.874' E | 24° 13.850' N |
| 12 | Chotpur | 73° 58.727' E | 24° 12.808' N |
| 13 | Tulsi Namla | 73° 59.548' E | 24° 13.411' N |
| 14 | Rentguriya | 73° 59.216' E | 24° 13.566' N |
| 15 | Gamri | 73° 56.727' E | 24° 16.153' N |
| 16 | Juni jhar | 73° 55.137' E | 24° 17.992' N |
| 17 | Dawana | 73° 54.128' E | 24° 18.733' N |
| 18 | Khanakheri | 73° 53.617' E | 24° 18.882' N |
| 19 | Gada | 73° 53.088' E | 24° 19.244' N |
| 20 | Adwas | 73° 52.768' E | 24° 19.571' N |
| 22 | Khaira | 73° 49.766' E | 24° 17.816' N |
| 23 | Nabora | 73° 51.610' E | 24° 19.947' N |
| 24 | Baba Ka Magra | 73° 58.625' E | 24° 15.622' N |
| 25 | Bassi | 73° 58.342' E | 24° 12.319' N |
| 26 | Kantora | 73° 57.859' E | 24° 12.543' N |
| 27 | Karoriya | 73° 57.450' E | 24° 13.069' N |
| 28 | Butwas | 73° 55.918' E | 24° 13.845' N |
| 29 | Khakhal | 73° 55.222' E | 24° 14.630' N |
| 30 | Vatuka | 73° 52.229' E | 24° 14.795' N |
| 31 | Padarara | 73° 53.227' E | 24° 14.778' N |
| 32 | Batuka | 73° 51.866' E | 24° 15.201' N |
| 33 | Garmala | 73° 50.371' E | 24° 16.970' N |
| 34 | Chandaji ka Gurha | 73° 52.669' E | 24° 15.408' N |

Annexure -IV**Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.